कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

पत्रावली वास्ते लोक अदालत कैम्प प्रा० प्र० विशेष पेश हुई पत्रावली व मौके आवेदकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा प्रा० प्र० प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] की ढाणी के मुरब्बे नं. 350/1, तादादी 32 बीघा 10 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट में खसरा नं. 940/3.08, 941/0.70, 942/1.82, 943/1.05, 944/0.98, 945/0.36 किता 6 कुल रकबा 7.99 है. पर्ट राजस्व ग्राम [illegible] में स्थित है आवेदकगण व प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 व अप्रा. 1 लगा. 9 व प्रति. 14 का 2/3 हिस्से की पैत्रिक भूमि के खातेदार व 1/3 हिस्से के खातेदार प्र० नं. 15 के पिता आर्ज़ी [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है जो फौत हो चुका है जिसका विधिक वारिस प्रतिवादी नं. 15 है। प्रति० 1 लगा. 4 व प्र० 15 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा आवेदकगण व प्रति० नं. 14, 1/6 हिस्सा अप्रा० नं. 1 लगा. 9 का अलग कब्जा काश्त है। 1/3 हिस्से पर प्र० नं. 1 लगा. 4 का कब्जा काश्त है 1/3 हिस्से पर प्र० नं. 15 काबिज है जिनका आज से 30 वर्ष पूर्व में [illegible] विभाजन कर अलग अलग काश्त करते है। विवादग्रस्त भूमि को आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगा. 13 व प्रति नं. 14 के पूर्वज गणेशाराम व [illegible] पहले शामिल में काश्त करते थे, गणेशाराम बड़ा था [illegible] खाता [illegible] होने से उक्त आराजी अकेले के नाम दर्ज [illegible] जबकि मौके पर कब्जा काश्त बटा है दोनों भाइयों का ही चला आ रहा है उनके फौत होने पर उनके वारिसों का चला आ रहा है। गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में आवेदकगण को बेदखल नहीं किया जा सकता है परन्तु आवेदकगण [illegible] वैध अधिकारों की रक्षार्थ कार्यवाही निषेधाज्ञा का [illegible] आवश्यक हुआ। गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में [illegible] 1 लगा. 9 की नियत खराब हो गई है। गलत [illegible] रिकॉर्ड की आड़ में भूमि को विक्रय कर देंगे खुर्द बुर्द कर देंगे तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः अनावेदक [illegible]

[illegible] प्रार्थना किया जावे कि

आदेश	कार्यवाही विवरण

अनावेदकगण सं. 1, 4, 6 व 9 की तरफ से जवाब प्रा. पत्र
प्रस्तुत किया जाकर वर्णित किया कि भूमि पे विक्रय नहीं है
आवेदकगण व प्र.सं. 14 का भूमि से कोई हितबंध नहीं है
उक्त भूमि जागीर प्रथा के समय से 1/3 हिस्से पर जवाब
देहन्दा के पूर्वज पिता/दादा को ठिकाना मालिक से
प्राप्त हुई थी राज. काश्त. अधि. के पूर्व व उसके लगातार
धीमी के बाद से लगातार जवाबदेहन्दा गणों के नाम
से चली आ रही है आवेदकगण व प्र.सं. 15 का कोई
हितबंध नहीं है।

उपरोक्त हितबंध मे वाद विचारणीय होने से प्रकरण
के हक हिस्सो का ~~निर्णय~~ पक्षकारान द्वारा
प्रस्तुत सबूत, साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर
तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है
अतः प्रकरण मे वाद बहुलता नहीं बढे आवेदकगण
व अनावेदकगण को ता फैसला निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है। ~~अंतरिम~~ कि मौका की
स्थिति को यथास्थिति बनाये रखे। अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा दिनांक 27.6.11 को स्थगन की जाती है
पत्रावली मौका कृषि योग्य नक्शा से कम हो तथा
वाद तनकीह कार्यवाही जावा दाखिल पेश हो
निर्णय आज दि. 2.6.18 को मय के लिखित सुनाया
गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]